

## उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—।

संख्या:पॉच-470(वरिष्ठता-पदोन्नति) / 2015 दिनांक:मार्च २०१६

### आदेश

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा कुल-16 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति का चयन परिणाम मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था, जिसका प्रकाशन इस मुख्यालय के आदेश संख्या:पॉच-470(वरिष्ठता-शील्डकवर) / 2015 दिनांक 23-01-2016 द्वारा उ0प्र० पुलिस की वेबसाइट पर किया गया है।

2— उक्त सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:13 / 21 / 89-का-1-1997 के खण्ड-7(क) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रकरण में पूर्णतः निर्दोष पाये जाने के कलस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मुहर बन्द लिफाफों को खोलकर उनमें रखी गयी प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा की गयी संस्तुति के क्रियान्वयन की कार्यवाही की गयी। प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा की गयी संस्तुति में निम्नलिखित 02 उपनिरीक्षक ना0पु० को निरीक्षक ना0पु० के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र० द्वारा अनुमोदित किये जाने के आधार पर इन्हें तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जो रिट याचिका संख्या:1645 / 2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626 / 2015 संतोष कुमार वैश्य व 18 अन्य बनाम उ0प्र० राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।-

क्र०सं०	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति जनपद	चयन का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	387	822413385	विष्णु कुमार मिश्रा	शिव कुमार मिश्र	हमीरपुर	2014
2	452	782141247	मांगेश तोमर	मलखान सिंह	मुशादाबाद	2014

3— पदोन्नति पाये उपरोक्त उपनिरीक्षकगण अपने नियुक्ति स्थान जनपद के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवानियमावली के प्राविधिकानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा इनके आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र० लखनऊ द्वारा अलग से आदेश पारित किये जायेंगे।

4— पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप (क) में रवहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:

13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियों:-

- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधेकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।  
उपरोक्त तीनों परिस्थितियों सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध विद्यमान न हों।

5— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अकिल परिस्थितिर्थी विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक नांप्र० को निरीक्षक नांप्र० के पद पर कार्यभर ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अकिल परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा तान्द्रन तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6— यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अकिल कोई तथ्य आशय अपना छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध अभियोग पज्जीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी वी पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7— आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक—प्रारूप (क)

*CD-S2*  
(ए० क० शुक्ला ३/३)  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद/बरेली जौन।
- 2— पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूटधाम/मुरादाबाद परिक्षेत्र।
- 3— वारिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर/मुरादाबाद।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ० प्र० लखनऊ।
- 2— पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ।
- 3— अपर सचिव, प्रोन्नति उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

प्रारूप—‘क’

स्वघोषणा—पत्र

मेरे	(नाम / पदनाम	व	पीएनओ)	पुत्र
निवासी	शाना	जनपद	वर्तमान	मेरे

(जनपद / इकाई का नाम) \_\_\_\_\_ नियुक्त हूँ, तथा घोषित करता हूँ कि:-

- (क) “मेरे विरुद्ध उम्र ३० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—१९९१ के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मात्र न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित है।”
- (ख) रिट याचिका संख्या: १६४५ / २०१५ अरविन्द कुमार व ७० अन्य, ४६२६ / २०१५ संतोष कुमार वैश्य व १८ अन्य बनाम उम्र ३० राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मात्र न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह मुझे स्वीकार होगा।
- २— उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी मदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध रथापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- ३— यह घोषणा—पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से छोशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपैण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम / पदनाम / पीएनओ सहित)  
नियुक्ति स्थान / दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिशेषक के विरुद्ध उम्र ३० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—१९९१ के नियम—१४(१) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा काई आपराधिक अभियोग मात्र न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (१) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश / दिनांक तथा कारण —————
- (२) मेरे विरुद्ध उम्र ३० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—१९९१ के नियम—१४(१) के अन्तर्गत जनपद / इकाई ————— में कार्यवाही लम्बित है जिसमें दिनांक: ————— को आरोप—पत्र दिया गया है।
- (३) मेरे विरुद्ध मुःअ०स० ————— द्वारा ————— शाना —————  
जनपद ————— में लम्बित है, जिसमें दिनांक: ————— को रथानीय पुलिस अथवा जीव एजेन्सी ————— द्वारा आरोप—पत्र मात्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में ————— स्तर पर बल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम / पदनाम / पीएनओ सहित)  
नियुक्ति स्थान / दिनांक

प्रमाणित

जनपद / इकाई के प्रमाणी  
नाम / पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा—पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे रपट रूप से काट (X) दिया जाय।